न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 102/2010

अमर सिंह पुत्र अचल सिंह जाति राजपूत निवासी कराडिया तहसील मांगरोल जिला बारां

...वादी

♠ बनाम ♠

1. महेन्द्र पुत्र सुरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नं0 2 मांगरोल
2. धीरेन्द्र सिंह सुरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नं0 2 मांगरोल
3. रघुवीर सिंह सुरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नं0 2 मांगरोल
4. लालमणि बेवा सुरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नं0 2 मांगरोल
5. राजरानी पुत्री सुरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नं0 2 मांगरोल
6. श्याम सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नं0 2 मांगरोल
7. करूणा पुत्री सुरेन्द्र सिंह पत्नि रामसिंह जाति राजपूत निवासी बिच्छू नगरी नन्दवन उद्यान के पास नाथद्वारा जिला राजसमंद
8. बिमला पुत्री सुरेन्द्र सिंह पत्नि अशोक सिंह जादोन जाति राजपूत निवासी नियतमाता रकीम देवाली तहसील गिरवा जिला उदयपुर
9. मधु पुत्री सुरेन्द्र सिंह पत्नि गुमानसिंह जाति राजपूत निवासी परावली तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद
10. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादी : श्री दया कृष्ण धाकड

वकील प्रतिवादीगण : श्री के0 के0 सोनी

निर्णय दिनांक : 28.01.2019

दायरा दिनांक: 28.10.2010

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है उक्त उनवान के प्रकरण में सुनाये गये निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.02.2016 का संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है कि ग्राम कराडिया की आराजी खसरा नं0 67 रकबा 3.51 है0, खसरा नं0 95 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 151 रकबा 1.39 है0, खसरा नं0 379 रकबा 0.22 है0 ग्राम सीधंन्या की आराजी खसरा नं0 224/437 रकबा 0.78 है0 व ग्राम मांगरोल की

खसरा नं0 1639 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 1659 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0 1677 रकबा 0.05 भूमि में वादी व प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/2, 1/2 दर्ज करने के आदेश दिये गये।

उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार मांगरोल द्वारा पत्र कमांक/भू0अ0/2019/173 दिनांक 11.01. [illegible] से बंटवारा स्कीम प्रस्तुत की। जो शामिल फाईल किया गया एवं पत्रादि का अवलोकन किया गया। खातेदारो की सहमति के आधार पर भूमि का विभाजन किया गया। बंटवारा प्रस्ताव निम्न प्रकार है:-

ग्राम मांगरोल की वर्तमान जमाबंदी संवत 2073-76 की खाता सं0 6 खसरा नं0 1639 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 1659 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0 1677 रकबा 0.05 है0 किता 3 रकबा 0.17 है0 में खातेदार अचल सिंह पुत्र मोतीसिंह हि0 1/2 विरेन्द्र सिंह, महावीर सिंह पुत्रान चतर कंवर, कमलेश कंवर पुत्रियां फतेह सिंह हि0 2/5 अंकित सिंह पुत्र शिवराज सिंह हि0 1/10 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार दर्ज है। खाते में दर्ज खसरा नम्बरान में से खसरा नं0 1639 रकबा 0.03 है0 व खसरा नं0 1659 रकबा 0.09 है0 पर कमशः अचल सिंह के वारिसान सुरेन्द्र सिंह एवं अमर सिंह काबिज है तथा खसरा नं0 1677 रकबा 0.05 है0 पर फतेहसिंह के वारिसान काबिज काश्त चले आ रहे है। अतः अचल सिंह पुत्र मोती सिंह जाति राजपूत सा0 देह खातेदार को ग्राम मांगरोल की आराजी खसरा नं0 1659 रकबा 0.09 है0 किस्म चाही प्रथम लगान 3.60 रू0 का खातेदार। विरेन्द्र सिंह, महावीर सिंह पुत्रान फतेह सिंह, चतर कंवर कमलेश कंवर पुत्रियां फतेह सिंह हि0 4/5 अंकित सिंह पुत्र शिवराज सिंह सुमन हाडा पत्नि स्व0 शिवराज सिंह हि0 1/5 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार को मांगरोल की आराजी खसरा नं0 1639 रकबा 0.03 है0, किस्म ब. उ. लगान 0.54 रू0, खसरा नं0 1677 रकबा 0.05 है0 किस्म चारागाह प्रथम लगान 2.00 रू0 का खातेदार।

ग्राम कराडिया की आराजी पर वादी अमर सिंह पुत्र अचल सिंह खसरा नं0 67 रकबा 2.46 है0, खसरा नं0 95 रकबा 0.07 है0 व खसरा नं0 151 रकबा 0.69 है0 किता 3 रकबा 3.22 है0 पर काबिज काश्त है एवं प्रतिवादीगण खसरा नं0 67 रकबा 1.05 है0, खसरा नं0 151 रकबा 0.70 है0, खसरा नं0 379 रकबा 0.22 है0 किता 3 रकबा 1.97 है0 पर काबिज काश्त चले आ रहे है। अतः महेन्द्र सिंह, धीरेन्द्र सिंह, रघुवीर सिंह, श्याम सिंह पुत्रान सुरेन्द्र सिंह, करूणा, विमला हाडा, मधुबाला, राजरानी पुत्रिया सुरेन्द्र सिंह लालमणी देवी पत्नि स्व0 सुरेन्द्र सिंह जाति राजपूत सा0 मांगरोल को ग्राम कराडिया की आराजी खसरा नं0 67 रकबा 1.76 है0 लगान 56.32 रू0, खसरा नं0 95 रकबा 0.03 है0 लगान 0.96 रू0, खसरा नं0 151 रकबा 0.69 है0, खसरा नं0 379 रकबा 0.11 है0 लगान 2.64 रू0 का खातेदार। अमर सिंह पुत्र अचलसिंह जाति राजपूत सा0 मांगरोल को ग्राम कराडिया की आराजी खसरा नं0 67 रकबा 1.75 है0 लगान 56.00 रू0, खसरा नं0

[illegible] है0 लगान 1.28 रू0, खसरा नं0 151 रकबा 0.70 है0, खसरा नं0 379 रकबा 0.11 है0 [illegible] का खातेदार।

ग्राम सीन्धन्या की आराजी खसरा नं0 224/437 रकबा 0.78 है0 में अमर सिंह पुत्र अचल सिंह जाति राजपूत [illegible] देह को ग्राम सीन्धन्या की आराजी खसरा नं0 224/437 रकबा 0.39 है0 लगान 12.48 है0 [illegible] का खातेदार।

अतः उपरोक्त बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। वादी व प्रतिवादीगण ने उक्त बंटवारा प्रस्ताव से उक्त कब्जे काश्त के आधार पर खातेदार घोषित किये जाने हेतु निवेदन किया है एवं अपनी सहमति प्रस्तुत की है, अतः पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं एवं तहसीलदार मांगरोल द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव व वादी व प्रतिवादी कम 1 ता 9 की सहमति के आधार पर वादी अमर सिंह पुत्र अचल सिंह जाति राजपूत निवासी कराडिया को **ग्राम कराडिया** की आराजी खसरा नं0 67 रकबा 2.46 है0, खसरा नं0 95 रकबा 0.07 है0 व खसरा नं0 151 रकबा 0.69 है0 किता 3 रकबा 3.22 है0 का खातेदार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी कम 1 ता 9 के पिता सुरेन्द्र सिंह पुत्र अचल सिंह को **ग्राम मांगरोल** की आराजी खाता सं0 6 खसरा नं0 1639 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 1659 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0 1677 रकबा 0.05 है0 किता 3 रकबा 0.17 है0 व **ग्राम कराडिया** की आराजी खसरा नं0 67 रकबा 1.05 है0, खसरा नं0 151 रकबा 0.70 है0, खसरा नं0 379 रकबा 0.22 है0 किता 3 रकबा 1.97 है0 व ग्राम सींधन्या की आराजी खसरा नं0 224/437 रकबा 0.39 है0 का खातेदार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार प्रत्येक सहखातेदारान का खाता तन्हा रूप से पृथक किया जाता है। पृथक लगान कायम किया जाकर मुताबिक नक्शा ट्रेस खसरा नम्बर खातेदारों के दर्ज किया जावें। तदनुसार फाईनल डिकी जारी की जाती है। तहसीलदार मांगरोल को उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2019 को सरेइजलास मजमेंआम में सुना[illegible]